(24)

(3)

आदेश फलक
अभिलेख सं० – 20/17-18
केस का प्रकार – विविधवाद
अँचल – गोमिया

08/9/17	आवेदक - रितलाल महतो पिता - स्व० खेमन महतो ग्राम - कतवारी, थाना - चतरोचट्टी, जिला - बोकारो द्वारा दिये गये आवेदन का अवलोकन किया ~~प्रति~~ आवेदित किया मौजा कतवारी में खाता सं० - 29 के अन्तर्गत दररैयती खाता सं० - 03 प्लॉट संख्या - 552 रकबा 25 डी० ~~बुंडू~~ पीपराटोड के नाम से दर्ज है जिसमें खतियानी रैयत के वंशज - हिरामन महतो, भीम महतो, भुनेश्वर महतो एवं कौलेश्वर महतो पिता - स्व० धर्मनाथ ग्राम - कतवारी थाना - चतरोचट्टी द्वारा उक्त खाता प्लॉट रकबा मे मकान बनाया जा रहा इस संबंध संबंधित को मूल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। तत्पश्चात अभिलेख दिनांक 25/09/17 को उपस्थापित करें। 08/09/17 अँचल अधिकारी गोमिया
25/09/17	अभिलेख उपस्थापित। देखा। उभय पक्ष नोटिस पाकर उपस्थित। आवेदक का कहना है कि मौजा कतवारी खाता संख्या 29 के अन्तर्गत दर रैयती खाता सं० 03 प्लाट सं० 552 रकबा 25 डी० भूमि हमारे पूर्वज चुटर महतो वल्द भिखारी महतो के नाम से दर्ज है, पर खातियानी रैयत के वंशज हिरामन महतो, भीम महतो, भुनेश्वर महतो एवं कौलेश्वर महतो पिता

Scanned with CamScanner

स्व० धर्मनाथ महतो के द्वारा अवैध रूप से इंदिरा आवास का निर्माण करा रहे हैं। द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष के द्वारा आपत्ति करने पर उस स्थान से हटाकर अन्यत्र आवास का निर्माण करा रहे हैं। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल नहीं है। आवेदक उक्त भूमि पर दखल प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय जाना चाहते है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR MAH
Date: 2024.09.18 15:40:46 +05:30
Location: 192.168.43.144

अंचल अधिकारी
गोमिया।

Scanned with CamScanner